

श्री राजीव शर्मा ए.

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

02

तारीख हुकम

133  
2018

निम्निल मुक्ता (राजराजपुत्र) शर्मा  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

225  
RTA

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

28/2/18

आदिपत्ता कंपनी उपाधिकार।  
 कार्यालय रिपोर्ट होकर  
 पंजाबली आज प्रस्तुत हुई। पंजाबली उक्त  
 शर्तित करे। आदिपत्ता शर्मा। कंपनी  
 की वदम प्राधिकार पत्र स्वयं पर सुनी  
 गई। आदिपत्ता कंपनी ने अपनी  
 वदम से मुख्य रूप से निवेदन किया  
 कि कंपनी विवादग्रस्त भूमि के  
 लक्षिते कनिस्ट्री विद्वान पत्र डेला की  
 टैसिपल से राजस्व रिकार्ड में श्वातेदार  
 कार्याकार उक्त है तथा कंपनी श्वाते  
 की शर्तली का उपयोग-उपयोग कर  
 रहे हैं। कंपनी एवं रेस्पोंडेन्ट संस्था  
 उलगापत्र 7 जो राजस्व रिकार्ड में  
 श्वातेदार उक्त है, ने पुराना वाक्यूवीवाल  
 का निर्माण कर कंपनी शर्तली को  
 महफूज कर उसका उपयोग-उपयोग कर  
 रहे हैं एवं उक्त शर्तली में रेस्पोंडेन्ट  
 संस्था 1 व 2 का कोई हस्तक्षेप क्वयवा  
 वास्ता नहीं है तथा रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 2/  
 वादीगण द्वारा आदिपत्त न्यायालय के  
 समक्ष लक्ष्य को विवाते हुए नवीन प्राधिकार  
 पत्र 212 वाक्यूवाल कार्याकारी आदिनियम  
 प्रस्तुत कर कंपनी को उसके श्वाते की  
 शर्तली के उपयोग-उपयोग से प्रतिबन्धित  
 करने का एकपक्षीय आदेश वाला-बाला  
 द्वारा जारी किया गया, जिससे कंपनी  
 को अपुर्णनीय शर्त कारित हो रही है। अतः  
 ऐसे अतिरिक्त आदेश की विचारित स्वागत  
 फरमावे।

हमने वदम आदिपत्तु कंपनी



राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर

## राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

पर गौर किया एवं पजावली का अवलोकन  
किया। प्रकरण में अपीलकर्ता प्रशंगर क्रम  
के सम्बन्ध में रिपोर्ट खातेदार काश्तकार  
है, जिनको सुनवाई का अवसर दिये बिना  
ही उनके खाते की झारखीप्रात के उपयोग-  
उपभोग हेतु प्रतिबन्धित किया जाना  
उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आदेश  
गौर अपील दिनांक 15/12/2018 निरस्त  
किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय  
को इन निर्देशों के साथ प्रतिषेधित किया  
जाता है वे प्रार्थना या अपील निषेधाज्ञा  
पर उन्नतपत्रों को सुनवाई का समुचित  
अवसर प्रदान कर 30 दिवस की अवधि  
में गुणावगुण पर निष्पत्ति पारित करें।

पजावली केसल शुमार  
होकर बाद तकमील डायरिज इस्तर  
हो। आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर

